



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 1983/फाल्गुन 17, 1904

No. 76]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 1983/PHALGUNA 17, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1983

सां. कां. निं. 249 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में संशोधन करने के लिये नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सां.कां.निं. 30 तारीख 23 दिसम्बर, 1981 के अंगीत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 9 जनवरी, 1982 पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस राजपत्र की प्रति जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता की उपलब्ध कराए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आशेष और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उत्तर प्रभावित होने की सम्भावना है ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 9 जनवरी, 1982 की जनता की उपलब्ध करा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की जांच प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और केन्द्रीय खाद्य भौतिक सम्पत्ति ने परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1433 GI/82

1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1983 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इतने इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

(1) नियम 61-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

“61-ग फल उत्पादों में पाचनकारण और स्वाधीकारि कारकों का उपयोग:—

फल उत्पादन में निम्नलिखित पोषणांतरण और स्वाधीकारी कारक जोड़े जा सकेंगे:—

1. पोटैशियम,
2. सोडियम एल्गिनेट,
3. कैल्शियम एल्गिनेट,
4. ग्लूजिनिक अम्ल,
5. प्रापिरीन रसाइकोन एल्गिनेट।

(2) उक्त नियम के परिशिष्ट ख की मद सं. क 16.01, क. 16.02, क. 16.03, क. 16.04, क. 16.05, क. 16.06, क. 16.07, क. 16.09, क. 16.11, क. 16.12 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“इसमें नियम 61-ग में विहित किए गए अनुसूचित पायसीकरण और स्थायीकारी कारक भी हो सकेंगे”।

[सं० पी० 15019/2/80—पीएफ (एफ&न)/पीएफ]
एस० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खाद्य अपमिश्रण मिलारण नियम, 1955 के मूल नियम पहले बार कां०नि० सं० 2106 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड (3), उपखंड (1) में तारीख 12-9-1955 का प्रकाशित किए गए थे और मन्त्रिपरिषद् द्वारा उनका मणोषन किया गया —

1. सां०का०नि० सं० 425 तारीख 4-4-1960
2. सां०का०नि० सं० 1134 तारीख 16-9-1961
3. सां०का०नि० सं० 1589 तारीख 22-10-1964
4. सां०का०नि० सं० 1814 तारीख 11-12-1965
5. सां०का०नि० सं० 74 तारीख 8-1-1966
6. सां०का०नि० सं० 382 तारीख 19-3-1966
7. सां०का०नि० सं० 1256 तारीख 26-8-1967
8. सां०का०नि० सं० 1533 तारीख 24-8-1968
9. सां०का०नि० सं० 2163 तारीख 14-12-1968
10. सां०का०नि० सं० 532 तारीख 8-3-1969
11. सां०का०नि० सं० 1764 तारीख 26-7-1969
12. सां०का०नि० सं० 2068 तारीख 30-8-1969
13. सां०का०नि० सं० 1909 तारीख 24-10-1970
14. सां०का०नि० सं० 938 तारीख 12-6-1971
15. सां०का०नि० सं० 992 तारीख 3-7-1971
16. सां०का०नि० सं० 553 तारीख 6-5-1972
17. सां०का०नि० सं० 133 तारीख 10-2-1973
18. सां०का०नि० सं० 205 तारीख 23-2-1974
19. सां०का०नि० सं० 850 तारीख 12-7-1975
20. सां०का०नि० सं० 508(अ) तारीख 27-9-1975
21. सां०का०नि० सं० 63(अ) तारीख 5-2-1976
22. सां०का०नि० सं० 754 तारीख 29-5-1976
23. सां०का०नि० सं० 856 तारीख 12-6-1976
24. सां०का०नि० सं० 1417 तारीख 20-10-1976
25. सां०का०नि० सं० 4(अ) तारीख 4-1-1977
26. सां०का०नि० सं० 18(अ) तारीख 15-1-1977
27. सां०का०नि० सं० 651 (अ) तारीख 22-10-1977
28. सां०का०नि० सं० 732(अ) तारीख 5-12-1977
29. सां०का०नि० सं० 775 (अ) तारीख 27-12-1977
30. सां०का०नि० सं० 36 (अ) तारीख 21-1-1978
31. सां०का०नि० सं० 70 (अ) तारीख 8-2-1978
32. सां०का०नि० सं० 238 (अ) तारीख 20-4-1978
33. सां०का०नि० सं० 393 (अ) तारीख 4-8-1978
34. सां०का०नि० सं० 590 (अ) तारीख 23-12-1978
35. सां०का०नि० सं० 55(अ) तारीख 31-1-1979
36. सां०का०नि० सं० 231(अ) तारीख 6-4-1979
37. सां०का०नि० सं० 19 (अ) तारीख 28-1-1980
38. सां०का०नि० सं० 243 तारीख 1-3-1980
39. सां०का०नि० सं० 244 तारीख 1-3-1980
40. सां०का०नि० सं० 529 (अ) तारीख 13-10-1980
41. सां०का०नि० सं० 652 (अ) तारीख 4-11-1980
42. सां०का०नि० सं० 710 (अ) तारीख 22-12-1980
43. सां०का०नि० सं० 23 (अ) तारीख 16-1-1981
44. सां०का०नि० सं० 290 (अ) तारीख 13-4-1981
45. सां०का०नि० सं० 503 (अ) तारीख 1-9-1981

46. सां०का०नि० सं० 44 (अ) तारीख 5-2-1982
47. सां०का०नि० सं० 57 (अ) तारीख 11-2-1982
48. सां०का०नि० सं० 245 (अ) तारीख 11-4-1982
49. सां०का०नि० सं० 422 (अ) तारीख 24-5-1982
50. सां०का०नि० सं० 476 (अ) तारीख 24-6-1982

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1983

G.S.R. 249 (E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) hereinafter referred as said Act with the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 30 dated 23rd December, 1981 at pages 64-65 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 9th January, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of ninety days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 9th January, 1982;

And, whereas the objections and suggestions received from public on the draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

1. These rules may be called Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1983.
2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as said rules):—

(i) After rule 61-B, the following shall be inserted, namely :—

“61-C—Use of Emulsifying and stabilizing agents in Fruit Products :—

The following emulsifying and stabilising agents may be added to fruit products:

1. Pectin
2. Sodium alginate
3. Calcium alginate
4. Alginate acid
5. Propylene glycol alginate”.

(ii) In appendix ‘B’ to the said rules in item No. A. 16.01, A.16.02, A.16.03, A.16.04, A.16.05, A.16.06, A.16.07, A.16.09, A.16.11 and A.16.12, the following shall be added at the end, namely:—

“It may also contain permitted emulsifying and stabilising agents as prescribed in rule 61-C”.

[No. P-15019/2/80-PH (F&N)/PFA]
S. K. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note:—Principal rules of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were first published in Govt. of India Gazette, Part II, Section (3), Sub-section (i) vide S.R.O. 2106 dated 12-9-1955 and subsequently amended as follows by :—

1. G.S.R. No. 425	dated 4-4-1960	24. G.S.R. No. 1417	dated 20-10-1976
2. G.S.R. No. 1134	dated 16-9-1961	25. G.S.R. No. 4(E)	dated 4-1-1977
3. G.S.R. No. 1589	dated 22-10-1964	26. G.S.R. No. 18(E)	dated 15-1-1977
4. G.S.R. No. 1814	dated 11-12-1965	27. G.S.R. No. 651(E)	dated 22-10-1977
5. G.S.R. No. 74	dated 8-1-1966	28. G.S.R. No. 732(E)	dated 5-12-1977
6. G.S.R. No. 382	dated 19-3-1966	29. G.S.R. No. 775(E)	dated 27-12-1977
7. G.S.R. No. 1256	dated 26-8-1967	30. G.S.R. No. 36(E)	dated 21-1-1978
8. G.S.R. No. 1533	dated 24-8-1968	31. G.S.R. No. 70(E)	dated 8-2-1978
9. G.S.R. No. 2163	dated 14-12-1968	32. G.S.R. No. 238(E)	dated 20-4-1978
10. G.S.R. No. 532	dated 8-3-1969	33. G.S.R. No. 393(I)	dated 4-8-1978
11. G.S.R. No. 1764	dated 26-7-1969	34. G.S.R. No. 590(E)	dated 23-12-1978
12. G.S.R. No. 2068	dated 30-8-1969	35. G.S.R. No. 55(E)	dated 31-1-1979
13. G.S.R. No. 1809	dated 24-10-1970	36. G.S.R. No. 231(E)	dated 6-4-1979
14. G.S.R. No. 938	dated 12-6-1971	37. G.S.R. No. 19(E)	dated 28-1-1980
15. G.S.R. No. 992	dated 3-7-1971	38. G.S.R. No. 243	dated 1-3-1980
16. G.S.R. No. 553	dated 6-5-1972	39. G.S.R. No. 244	dated 1-3-1980
17. G.S.R. No. 333	dated 10-2-1973	40. G.S.R. No. 529(E)	dated 13-10-1980
18. G.S.R. No. 205	dated 23-2-1974	41. G.S.R. No. 652(E)	dated 4-11-1980
19. G.S.R. No. 850	dated 12-7-1975	42. G.S.R. No. 710(E)	dated 22-12-1980
20. G.S.R. No. 508(E)	dated 27-9-1975	43. G.S.R. No. 23(E)	dated 16-1-1981
21. G.S.R. No. 63(E)	dated 5-2-1976	44. G.S.R. No. 290(E)	dated 13-4-1981
22. G.S.R. No. 754	dated 29-5-1976	45. G.S.R. No. 503(E)	dated 1-9-1981
23. G.S.R. No. 856	dated 12-6-1976	46. G.S.R. No. 44(E)	dated 5-2-1982
		47. G.S.R. No. 57(E)	dated 11-2-1982
		48. G.S.R. No. 245(E)	dated 11-3-1982
		49. G.S.R. No. 422(E)	dated 24-5-1982
		50. G.S.R. No. 476(E)	dated 29-6-1982

